VIII मुद्रा प्रबंध

समीक्षाधीन वर्ष में, रिज़र्व बैंक ने जनता को विभिन्न मूल्यवर्गों के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की। मुद्रा प्रबंध के कार्यों का बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) का बदला जाना और बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (मणि) का लाया जाना अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। कोविड-19 के चलते मांग में बढ़ोतरी के बीच रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी।

VIII.1 वर्ष 2019-20 में रिज़र्व बैंक के अधिदेश में मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में आने वाली आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण उल्लेखनीय रहा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) का उन्नयन हुआ तथा समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आईकॉम्स) एप्लीकेशन के स्थान पर एक उन्नत मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल (सीवाईएम) लाया गया जो रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकृत है।

VIII.2 कोविड-19 महामारी के चलते बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण मुद्रा (करेंसी) की मांग बढ़ने लगी। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, नोट मुद्रणालयों, पेपर मिलों और बैंकों को भी व्यवसाय निरंतरता योजना / आकस्मिकता योजना स्थापित करने को कहा गया ताकि करेंसी की लगातार आपूर्ति में कोई भी व्यवधान न आने पाए।

VIII.3 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय का शेष अंश चार भागों में समेटा गया है। इसके तुरंत बाद आ रहे भाग 2 में इस वर्ष संचलनगत मुद्रा में हुई महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। 2019-20 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को भाग 3 कवर करता है और भाग 4, 2020-21 की कार्ययोजना बताता है। अध्याय निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

2. संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम

VIII.4 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट और सिक्के आते हैं। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, और ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और हाल में जारी ₹20 मूल्यवर्ग का सिक्का शामिल है। मूल्य के रूप में देखें तो कुल संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बड़ा हिस्सा बैंकनोटों का है (लगभग 99 प्रतिशत)।

बैंकनोट

VIII.5 वर्ष 2019-20 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य में 14.7 प्रतिशत और मात्रा में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य के संदर्भ में, मार्च 2020 के अंत में ₹500 और ₹2000 के बैंकनोट एक साथ मिलकर कुल संचलनगत बैंकनोटों का 83.4 प्रतिशत थे जिसमें ₹500 के बैंकनोटों का अंश तेजी से बढ़ा है। मात्रा की बात करें तो, मार्च 2020 के अंत तक ₹10 और ₹100 के बैंकनोट कुल संचलनगत बैंकनोटों के 43.4 प्रतिशत रहे (सारणी VIII.1)।

सिक्के

VIII.6 वर्ष 2019-20 में संचलनगत सिक्कों का कुल मूल्य 1.8 प्रतिशत बढ़ा जबकि कुल मात्रा केवल 1.2 प्रतिशत बढ़ी। 31

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट (मार्च- अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	नोटों की संख्या (लाख़ में)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,14,253	1,13,025	1,12,203	4,433	4,372	4,331
	(11.2)	(10.4)	(9.7)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
10	3,06,449	3,12,598	3,04,022	30,645	31,260	30,402
	(29.9)	(28.7)	(26.2)	(1.7)	(1.5)	(1.3)
20	1,00,160	87,127	82,994	20,032	17,425	16,599
	(9.8)	(8.0)	(7.2)	(1.1)	(0.8)	(0.7)
50	73,430	86,015	86,009	36,715	43,007	43,004
	(7.2)	(7.9)	(7.4)	(2.0)	(2.0)	(1.8)
100	2,22,150	2,00,738	1,99,021	2,22,150	2,00,738	1,99,021
	(21.7)	(18.5)	(17.2)	(12.3)	(9.5)	(8.2)
200	18,526	40,005	53,646	37,053	80,010	1,07,293
	(1.8)	(3.7)	(4.6)	(2.1)	(3.8)	(4.4)
500	1,54,690	2,15,176	2,94,475	7,73,429	10,75,881	14,72,373
	(15.1)	(19.8)	(25.4)	(42.9)	(51.0)	(60.8)
1,000	661	-	-	6610	-	-
	(…)	-	-	(0.4)	-	-
2,000	33,632	32,910	27,398	6,72,642	6,58,199	5,47,952
	(3.3)	(3.0)	(2.4)	(37.3)	(31.2)	(22.6)
कुल	**10,23,951**	**10,87,594**	**11,59,768**	**18,03,709**	**21,10,892**	**24,20,975**

-: लागू नहीं. …: नगण्य

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. संभव है पूर्णांकन के कारण कोष्ठकों में दिए गए अंकों का योग 100 न हो।

स्रोत : आरबीआई

मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिलकर संचलनगत सिक्कों की कुल मात्रा का 83.7 प्रतिशत रहे, जबकि मूल्य के अनुसार इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 78.3 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च-अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	नोटों की संख्या (लाख में)			मूल्य (₹ करोड़))		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880	1,47,880	1,47,880	700	700	700
	(12.4)	(12.3)	(12.1)	(2.7)	(2.7)	(2.7)
1	4,96,360	5,03,260	5,08,878	4,964	5,033	5,089
	(41.7)	(41.8)	(41.8)	(19.4)	(19.5)	(19.3)
2	3,28,550	3,31,540	3,35,158	6,571	6,631	6,703
	(27.6)	(27.6)	(27.5)	(25.7)	(25.6)	(25.5)
5	1,66,500	1,71,510	1,75,992	8,325	8,575	8,800
	(14.0)	(14.2)	(14.4)	(32.5)	(33.2)	(33.5)
10	50,490	49,050	50,130	5,049	4,905	5,013
	(4.3)	(4.1)	(4.1)	(19.7)	(19.0)	(19.1)
कुल	**11,89,780**	**12,03,240**	**12,18,038**	**25,609**	**25,844**	**26,305**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. संभव है पूर्णांकन के कारण कोष्ठकों में दिए गए अंकों का योग 100 न हो।

स्रोत : आरबीआई

मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना

VIII.7 मुद्रा (बैंकनोट व सिक्के दोनों) के निर्गमन और इसके प्रबंधन का कार्य रिज़र्व बैंक देश में भर में फैले अपने निर्गम कार्यालयों, करेंसी चेस्टों और और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2020 के अनुसार, करेंसी चेस्टों में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा (58.3 प्रतिशत) रहा (सारणी VIII.3)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.8 वर्ष 2019-20 के लिए बैंकनोटों की मांग एक वर्ष पहले की तुलना में 13.1 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2019-20 में बैंकनोटों की आपूर्ति भी गत वर्ष की तुलना में 23.3 प्रतिशत कम रही जिसका मुख्य कारण कोविड-19 के प्रकोप से हुई उथल-पुथल व इसके फलस्वरूप हुआ लॉकडाउन था (सारणी VIII.4)।

VIII.9 वर्ष 2019-20 के लिए सिक्कों की मांग और आपूर्ति अपने पिछले वर्ष के स्तर से क्रमश: 44.5 और 49.3 प्रतिशत कम रही जो अर्थव्यवस्था में सिक्कों की मांग कम होने का सूचक है (VIII.5)।

सारणी VIII.3: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो (मार्च 2020 के अंत के अनुसार)

वर्ग	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,962	1,689
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,180	908
निजी क्षेत्र के बैंक	206	168
सहकारी बैंक	8	7
विदेशी बैंक	4	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	6
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**3,367**	**2,782**

स्रोत : आरबीआई

गंदे नोटों का निपटान

VIII.10 लगातार निगरानी तथा सीवीपीएस/श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) का पर्याप्त उपयोग करते हुए गंदे नोटों के

सारणी VIII.4: बैंक नोट की मांग तथा बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(संख्या करोड़ में)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18		2018-19		2019-20	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	-	-	1
10	424	431	392	429	147	147
20	246	205	5	21	125	134
50	378	279	423	404	240	234
100	807	317	633	641	330	327
200	269	283	262	273	205	196
500 (नया डिज़ाइन)	921	969	1,169	1,147	1,463	1,200
2,000	15	15	5	5	-	-
कुल	**3,060**	**2,500**	**2,888**	**2,919**	**2,510**	**2,239**

-: लागू नहीं।

टिप्पणी: 1. बीआरबीएनएमपीएल : भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।

2. एसपीएमसीआईएल : भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।

3. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए अंकों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत : आरबीआई

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(संख्या करोड़ में)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18		2018-19		2019-20	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹1	183	201	200	255	10	11
₹2	118	154	100	129	80	80
₹5	170	154	113	68	100	100
₹10	300	76	200	161	120	115
₹20	-	-	-	-	30	5
कुल	**771**	**585**	**613**	**613**	**340**	**311**

-: लागू नहीं।
स्रोत : आरबीआई

निपटान का प्रसंस्करण तेज किया गया। परिणामतः, प्रसंस्कृत गंदे नोटों में वर्ष-दर-वर्ष 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.6)।

जाली नोट

VIII.11 वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए कुल जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 4.6 प्रतिशत रिज़र्व बैंक में और 95.4 प्रतिशत अन्य बैंकों द्वारा पकड़े गए (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान (अप्रैल – मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4
2000	1	6	1,768
1000	68,467	22	0
500	2,00,237	154	1,645
200	-	1	318
100	1,054	37,945	44,793
50	827	8,352	19,070
20	1,137	11,626	21,948
10	4,975	65,239	55,744
5 तक	83	591	1,244
कुल	**2,76,782**	**1,23,935**	**1,46,530**

-: लागू नहीं. ...: शून्य
टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए अंकों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत : आरबीआई।

सारणी VIII.7 : पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2017-18	1,88,693 (36.1)	3,34,090 (63.9)	5,22,783 (100.0)
2018-19	17,781 (5.6)	2,99,603 (94.4)	3,17,384 (100.0)
2019-20	13,530 (4.6)	2,83,165 (95.4)	2,96,695 (100.0)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।
स्रोत : आरबीआई

VIII.12 गत वर्ष की तुलना में, पकड़े गए जाली नोटों में ₹10, ₹50, ₹200 और ₹500 [महात्मा गाँधी (नई) शृंखला] के मूल्य वर्गों में क्रमश: 144.6 प्रतिशत, 28.7 प्रतिशत 151.2 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ₹20, ₹100 और ₹2,000 के मूल्यवर्गों में पकड़े गए जाली नोटों में क्रमश: 37.7 प्रतिशत, 23.7 प्रतिशत और 22.1 प्रतिशत की कमी आई (सारणी VIII.8).

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.13 गत वर्ष के ₹4,810.67 करोड़ की तुलना में 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय 4,377.84 करोड़ आया जिसका मुख्य कारण इस वर्ष मांग का पहले से कम होना था।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट मूल्य वर्ग के अनुसार (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4
2 और 5	1	..	22
10	287	345	844
20	437	818	510
50	23,447	36,875	47,454
100	2,39,182	2,21,218	1,68,739
200	79	12,728	31,969
500 (महात्मा गांधी शृंखला)	1,27,918	971	11
500 (महात्मा गांधी (नई) शृंखला)	9,892	21,865	30,054
1,000	1,03,611	717	72
2,000	17,929	21,847	17,020
कुल	**5,22,783**	**3,17,384**	**2,96,695**

.. : शून्य
स्रोत: आरबीआई

3. वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VIII.14 गत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- वार्निश किए हुए बैंकनोटों की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण *(उत्कर्ष)* [पैरा VIII.15];
- भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की ख़रीद *(उत्कर्ष)* [पैरा VIII.16];
- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की ख़रीद *(उत्कर्ष)* [पैरा VIII.17];
- मुद्रा प्रबंध के विविध पक्षों से जुड़ी समितियों के सुझावों का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष)* [पैरा VIII.18];
- मुद्रा प्रबंध के कार्यों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण *(उत्कर्ष)* [पैरा VIII.19];
- बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टिबाधितों की सहायता (पैरा VIII.20);
- उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वे (पैरा VIII.21);
- दृष्टिबाधित शृंखला के सिक्कों को जारी करना (पैरा VIII.22); और
- ध्यान देने के अन्य क्षेत्र (पैरा VIII.23)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

वार्निश किए हुए बैंकनोटों की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण

VIII.15 रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र परीक्षण के तौर पर ₹100 के मूल्यवर्ग में वार्निश किए हुए बैंकनोट शुरू करने हेतु कई कदम उठाए हैं। तथापि, कोविड-19 महामारी से हुए व्यवधान एवं कुछ अन्य घटनाक्रमों के कारण इन नोटों की छपाई में देर हुई है।

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद

VIII.16 बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की खरीद के लिए भारत सरकार के 'सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के अनुसार, "मेक इन इंडिया" खंड (यथा व्यवहार्य) को शामिल करते हुए जुलाई 2017 में एक वैश्विक बोली पूर्व अर्हता सूचना (ग्लोबल प्री क्वालिफिकेशन बिड नोटिस) जारी की गई। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय है।

मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की खरीद

VIII.17 रिज़र्व बैंक ने वैश्विक टेंडर के जरिए 50 नई सीवीपीएस मशीनों की खरीद की। सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन नयी मशीनों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और शुरुआत की जा चुकी है। रिज़र्व बैंक ने जोख़िम रहित, स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किए हुए कार्यस्थल बनाते हुए सीवीपीएस कक्षों को अत्याधुनिक/अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्तर पर ले जाने का भी कार्य किया।

मुद्रा प्रबंध के विविध पक्षों पर समितियों के सुझावों का कार्यान्वयन

VIII.18 सभी प्रेस व पेपर मिलों में कच्चे माल की खरीद के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, नोट मुद्रण प्रक्रिया और सुरक्षा विशेषताओं पर एक विशेषज्ञ समूह[1] (अध्यक्ष : श्री सी. कृष्णन) के सुझावों को वर्ष के दौरान कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लाया गया । मुद्रा भंडारण और संचलन पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएम)[2] [अध्यक्ष: श्री एन एस विश्वनाथन] और मुद्रा संचलन समिति (सीसीएम)[3] [अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती] के परामर्शों का कार्यान्वयन करते हुए बैंकनोटों को सीधे करेंसी चेस्टों तक भेजने, धन-प्रेषण निगरानी प्रणाली (रेमिटेंस ट्रैकिंग सिस्टम) और कंटेनर वाहनों के उन्नयन में रिज़र्व बैंक सक्रियता से लगा हुआ है ताकि प्रेषणों को संरक्षित, इष्टतम व सुरक्षित ढंग से भेजा जा सके । गंदे नोटों को समेटने व अंतिम छोर तक बैंकनोटों के वितरण की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा एचएलसीसीएसएम, सीसीएम और विशेषज्ञ समूह के अन्य सुझाव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुद्रा प्रबंध के कार्यों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण

VIII.19 ई-कुबेर में एक मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल (सीवाईएम) विकसित किया जा रहा है ताकि मुद्रा परिचालनों के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का उन्नयन हो और करेंसी चेस्ट के लेन-देनों का लेखांकन रिज़र्व बैंक के खाते में लगभग तत्काल प्रतिबिंबित हो। सीवाईएम के विभिन कार्य 3 चरणों में सामने लाए जा रहे हैं। चरण I और II में सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के साथ सभी सक्रिय करेंसी चेस्टों को सीवाईएम मॉड्यूल में लाने का कार्य किया जाना था जो जून 2019 तक पूरा किया गया। इस नए मॉड्यूल से मुद्रा (करेंसी) लेनदेन का लेखांकन टी+0 आधार पर हो रहा है, जबकि इससे पहले रिज़र्व बैंक के पास आईकॉम्स नामक जो मुद्रा प्रबंध एप्लीकेशन था उसमें यह कार्य टी+1 आधार पर हो रहा था। यूज़र रिपोर्टों का विकास तथा कुछ अन्य विशेषताओं वाले सीवाईएम मॉड्यूल का तीसरा चरण प्रगति पर है।

बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टिबाधितों की सहायता

VIII.20 भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टिबाधितों की सहायता के लिए रिज़र्व बैंक ने मणि (मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर) नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया जिसका उद्घाटन गवर्नर द्वारा 1 जनवरी 2020 को किया गया(बॉक्स VIII.1)।

उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वे

VIII.21 (ए) उपभोक्ता स्तर पर नकद की कुल मांग और पसंदीदा मूल्यवर्ग के आकलन; (बी) बैंकनोटों की विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं के बारे में लोगों की जागरुकता को आँकने; और (सी) वर्तमान बैंकनोटों व सिक्कों को लेकर सामान्य व दृष्टिबाधित दोनों प्रकार के लोगों में संतुष्टि के स्तर को थाहने के उद्देश्य से विभाग ने अक्टूबर 2019 में उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वे लॉन्च किया । वैसे, लॉकडाउन के कारण, इसका फ़ील्डवर्क स्थगित करना पड़ा।

दृष्टिबाधित शृंखला के सिक्कों का निर्गमन

VIII.22 मार्च 2019 में जारी की गई दृष्टिबाधितों के लिए सहायक सिक्कों की नई शृंखला रिज़र्व बैंक के निर्गम (इश्यू) कार्यालयों के काउंटर पर परिचालन में लाई गई । जनता में व्यापक वितरण के लिए ये नई शृंखला करेंसी चेस्टों को भी भेजी गई।

[1] रिज़र्व बैंक को यह रिपोर्ट 2018 में प्रस्तुत की गई।
[2] यह एक अंतरिम रिपोर्ट थी।
[3] रिज़र्व बैंक को यह रिपोर्ट 2017 में प्रस्तुत की गई।

बॉक्स VIII.1

दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि)

भारतीय बैंकनोटों में कई विशेषताएं हैं जैसे, उत्कीर्ण मुद्रण (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) और स्पर्शबोधक (टैक्टाइल) चिह्न, बैंकनोटों के विभिन्न आकार, बड़े अंक, बदलने वाले रंग, एकवर्णी (मोनोक्रोमेटिक) रंग और पैटर्न, जो दृष्टिबाधित (वर्णान्ध, आंशिक रूप से दृष्टिहीन और नेत्रहीन) लोगों को इन्हें पहचानने में सक्षम बनाती हैं। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 6 जून, 2018 के अपने वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने दृष्टिबाधितों द्वारा भारतीय बैंकनोटों की पहचान को और बेहतर करने के लिए एक उपयुक्त उपकरण या व्यवस्था विकसित करने की व्यवहार्यता की पड़ताल करने की अपनी मंशा घोषित की थी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने मणि (मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफाइयर) नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया और 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

- प्रकाश की विभिन्न स्थितियों (सामान्य प्रकाश/दिन का प्रकाश/कम प्रकाश आदि) में नोट तथा आधे मुड़े नोट को पकड़ने के विभिन्न कोणों से अगले/ पिछले हिस्से को चेक करने पर महात्मा गांधी शृंखला और महात्मा गांधी (नई शृंखला) के मूल्यवर्ग के नोटों की पहचान में सक्षम।
- हिंदी / अंग्रेजी में श्रव्य सूचना और अध्वनिक रूप जैसे कंपन (दृष्टि एवं श्रवण बाधित लोगों के लिए उपयुक्त) के माध्यम से मूल्यवर्ग को पहचानने की क्षमता।
- इन्स्टॉल होने के बाद इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और यह ऑफ़लाइन मोड में काम करता है।
- जहाँ भी संबंधित उपकरण (डिवाइस) और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों वॉयस आधारित कंट्रोल को सपोर्ट करेंगे, वहाँ एप्लिकेशन की विशेषताओं तक पहुँचने के लिए वॉयस कंट्रोल द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन को नेविगेट करने में सक्षम।
- एप्लिकेशन मुफ्त है तथा एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर से बिना किसी शुल्क / भुगतान के डाउनलोड किया जा सकता है।.
- यह मोबाइल एप्लिकेशन यह आधिप्रमाणित नहीं करता कि कोई नोट असली या जाली है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, जनता के लिए नि:शुल्क आईनोट नामक एक ऐसा ही एप्लिकेशन ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग (बीईपी) द्वारा विकसित किया गया है।

संदर्भ:

1. आरबीआई प्रेस रिलीज़.
2. ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग (बीईपी), यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेज़री।

ध्यान देने के अन्य क्षेत्र

VIII.23 मध्यावधि कार्यनीतिक ढाँचे के तहत, रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना जारी रखा जैसे, मुद्रा के कुशल स्टॉक प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण क्षमताओं व व्यवस्थाओं का उन्नयन तथा बैंकनोटों व सिक्कों की मांग के आकलन संबंधी मॉडल को और बेहतर बनाना।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.24 बीआरबीएनएमपीएल रिज़र्व बैंक की एक पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी है जो मैसूर व सालबोनी में दो प्रिंटिंग प्रेस चलाती है जिनकी कुल क्षमता दो-शिफ्ट के आधार पर 16 बिलियन बैंकनोट प्रति वर्ष है। शुरुआत से ही, कंपनी देश में बैंकनोटों की मांग व आपूर्ति का अंतर पाटने में रिज़र्व बैंक की सहायक रही है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के साथ बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) स्थापित की है जो बैंकनोटों के उत्पादन में लगने वाले सिलिंडर मोल्ड वीएटी मेड वाटरमार्क्ड बैंक नोट (सीडब्ल्यूबीएन) पेपर का उत्पादन करती है तथा इसकी क्षमता प्रति वर्ष 12,000 मीट्रिक टन है। बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में 1500 मीट्रिक टन की क्षमता वाली एक स्याही (इंक) की फैक्ट्री भी लगाई है जिसका वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2018 से प्रारंभ हो चुका है।

4. 2020-21 के लिए कार्ययोजना

VIII.25 इस वर्ष विभाग निम्नलिखित पर ध्यान देगा :

- बैंकनोट संचालन (हैंडलिंग) प्रक्रिया का स्वचालन *(उत्कर्ष)*

- o आधुनिक तकनीक द्वारा मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना व प्रक्रियाओं का उन्नयन

- बैंकनोटों के लिए माइक्रोसाइट
  - o एक माइक्रोसाइट डिजाइन और विकसित करने की प्रक्रिया जारी रखना जिस पर बैंकनोटों की विशेषताओं पर मूलभूत जानकारी तथा मुद्रा प्रबंध संबंधी जानकारी रहे – सरल व कुशल नेवीगेशन युक्त विभिन्न मल्टीमीडिया प्रारूपों के जरिये बैंकनोटों पर जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ;
  - o समझाने वाले वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से बैंकनोटों की डिज़ाइन व सुरक्षा विशेषताओं का 360-डिग्री दृश्य (व्यू) प्रस्तुत करना;
  - o बैंकनोट बदलने (एक्सचेंज)/नोट रिफ़ंड नियमावली पर सूचनाप्रद सामग्री: और
  - o संवादात्मक (इंटरैक्टिव) गेम और पोस्टर।

5. निष्कर्ष

VIII.26 सारांश यह कि, कोविड -19 महामारी की चुनौती के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में स्वच्छ करेंसी नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सफलतापूर्वक बनाए रखी। चलन में घुस आने वाले नकली नोटों के खतरों का मुकाबला करने तथा बैंकनोटों के विभिन्न पक्षों के बारे में जन जागरुकता लाने के लिए भी रिज़र्व बैंक ने निरंतर प्रयास किए हैं। आने वाले समय में मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, भारतीय बैंकनोटों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में लोगों की जागरुकता में वृद्धि करने तथा बैंकनोटों की मांग के आकलन के मॉडलों को अधिक बेहतर बनाने के क्षेत्रों पर रिज़र्व बैंक ध्यान देगा।